न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 04 / 2019
दायर दिनांक :– 22 / 02 / 2019
निर्णय दिनांक :– 26 / 11 / 2019

अनवान

1. श्री भेरा पिता हीरा पूर्बिया, आयु 60 वर्ष निवासी लालपुर, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. श्री किसनलाल पिता मोहनलाल पूर्बिया आयु 48 वर्ष निवासी लालपुर त0 कुंवारिया जि0 राजसमन्द

———निगराकार

बनाम

1. बंशी सिंह पिता सेणा दरोगा(रावणा राजपूत), आयु 60 वर्ष निवासी लालपुर तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द

———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत राजस्थान राज अधिनियम 1953 के विरूद्ध ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान, आवासीय भूखण्ड विलेख दिनांक 27–01–1991 आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा क्र0स0 270 बुक नंबर निल

उपस्थित :–

1– श्री सम्पत लढ्ढा, अधिवक्ता निगराकार

–: निर्णय :–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। ग्राम पंचायत पिपली आचार्यान ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 के अन्तर्गत पट्टा संख्या 270 दिनांक 27.01.1991 श्री बंशीसिंह पिता सेणा दरोगा राजपूत निवासी लालपुर के नाम जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है। प्रस्तुत निगरानी के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा अपने पत्रांक ग्रा.प./2017–18 दिनांक 04.04.2018 से अवगत कराया कि उपरोक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं।

अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करने से इंकार करते हुए नोट प्रेस किया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

निगराकार के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि गैर निगराकार द्वारा बनाया गया पट्टा फर्जी एवं कुटरचित है। निगरानी के साथ मानचित्र आवासीय मकान ग्राम लालपुर का प्रस्तुत किया जा रहा है, जो एनेक्सचर–1 है, जिसमें वर्णित जायदाद पर निगराकार का कब्जा व हक बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, जिसके पडोस व माप इस प्रकार है –

उत्तर :– आम रास्ता (माप 46)
दक्षिणः– चैना भील का मकान (माप 36'6)
पूर्व :– किसन, शम्भु, देवीलाल, वसन, श्याम की रोडिया(माप 47'6)
पश्चिमः– शंभु पिता रूपा जी पूर्बिया का प्लॉट(माप 53'9)

उक्त जायदाद में निगराकार ने चादर टीन शेड व कमरा बना रखा है, जहा निगराकार उपयोग, उपभोग करते है, तथा आम रास्ता के वहा निगराकार की फाटक लग रही है। विपक्षी ने निगराकार पर सिविल जज, राजसमंद में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया कि ऊपर वर्णित जायदाद में विपक्षी को ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान ने दिनांक 27.01.1991 को राजस्थान पंचायती अधिनियम,1953 के प्रावधनानुसार पट्टा दिया गया, जिसके नम्बर 270 है। पट्टे के पडौस उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में चतरा भील का बाडा, पूर्व में पडत रास्ता की भूमि व रोडिया तथा पश्चिम में दयाराम व अमी शम्भुलाल का पडौस बताया गया। नाप 45 फीट उत्तर दक्षिण व चौडाई 30 फीट पूर्व से पश्चिम बताई गई। निगराकार ने सिविल कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर हकीकत बताई व स्वयं का कब्जा होना बताया तथा विपक्षी का कब्जा नहीं होना बताया, तथा पटटे की नकल प्राप्त की, जिसके आधार पर विपक्षी निगराकार के कब्जा व हक भूमि पर स्टे चाहता है, यह पट्टा अवैध रूपेण जारी किया गया तथा सन् 1991 से विपक्षी का कब्जा नहीं रहा, न उसने कब्जा प्राप्त किया, न किसी प्रकार का निर्माण किया, किन्तु तथाकथित पट्टे के आधार पर सिविल कोर्ट में हक बता रहा है, जिससे दुखी पीडित परेशान व व्यथित होकर यह निगरानी याचिका निम्नाकित आधार पर प्रस्तुत की जा रही है कि तथाकथित पट्टे में भूमि के नम्बर किस्म नही लिखी गई है, जिससे आंवटन काबिल निरस्त है। अप्रार्थी राजपूत जाति का है, तथा आंवटन की पात्रता नहीं रखता है। आवंटन से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, जिससे आवंटन काबिल निरस्त है। आवंटित भूमि निगराकार के कब्जे व हक में पैतृक रूपेण अर्थात बाप दादाओं के समय से भी वही है,

तथापि इस संबंध में पूरा विवरण देकर आवंटन करवाया है, जिससे आवंटन काबिल निरस्त है। विपक्षी ने सन् 91 से 2017 तक आवंटित भूमि का कब्जा निगराकार से प्राप्त नहीं किया, जिससे विपक्षी के हक यदि कोई हो स्वतः समाप्त हो जाते है। पट्टा की शर्त संख्या 8 में विपक्षी को आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान झोपडा बनाना अनिवार्य होता है, किन्तु कब्जा ही विपक्षी को प्राप्त नहीं हुआ , निर्माण तो दूर की बात है जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा में शीर्षक में ही लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को जारी किया जाता है, किन्तु विपक्षी किसी भी श्रेणी में आने का उल्लेख नहीं है, अर्थात बिना जाँच के ही पट्टा सिर्फ सरपंच ने जारी कर दिया जो अवैध है। अप्रार्थी राजपूत जाति का है, तथा आंवटन की पात्रता नहीं रखता है। आवंटन से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, जिससे आवंटन काबिल निरस्त है। गैर निगराकार को जारी पट्टा संख्या 270 दिनांक 27.01.1991 को निरस्त फरमाया जावे । निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

निगराकार की एक तरफा बहस सुनी गई । अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा अपने पत्रांक ग्रा.प./2017–18 दिनांक 04.04.2018 से अवगत कराया कि उपरोक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। फेहरिस्त दस्तावेज के अवलोकन पर यह तथ्य सामने आया है कि गैर निगराकार एवं निगराकार के मध्य उक्त विवादग्रस्त पट्टे के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। निगराकार ने अपनी बहस में बताया कि यह पट्टा अवैध रूपेण जारी किया गया तथा सन् 1991 से विपक्षी का कब्जा नहीं रहा, न उसने कब्जा प्राप्त किया, न किसी प्रकार का निर्माण किया हैं। गैरनिगराकार द्वारा पट्टे की शर्त संख्या 8 की पालना नहीं की हैं। पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टे में भूमि के नम्बर किस्म नही लिखी गई है। आवंटन से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, जिससे आवंटन काबिल निरस्त है। गुणावगुण के आधार पर गैर निगराकार को जारी पट्टा संख्या 270 दिनांक 27.01.1991 निरस्त किया जाता है। पत्रावली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उभयपक्षों की सुनवाई कर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से विधि अनुसार पट्टे जारी करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द